बंदी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985
(मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 10 सन् 1985)

1. संक्षिप्त नाम
2. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, 1900 का सं. 3 का संशोधन
3. नवीन भाग 6-क का स्थापन
4. भाग 6-क - बन्दियों को छुट्टी और आपात छुट्टी'
5. भाग 7 - निर्वासन के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति
6. भाग 8 - बंदियों का उन्मोचन
7. भाग 9 - बंदियों की हाजिरी की अपेक्षा करने और उनका साक्ष्य **प्राप्त करने से संबंधित उपबंध**

बंदी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985
(मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 10 सन् 1985)

दिनांक 26 मई 1985 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 5 जून 1985 को प्रथमबार प्रकाशित की गई ।

बन्दी अधिनियम, 1900 को मध्यप्रदेश राज्य में उसके लागू होने के सम्बन्ध में और संशोधित करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985 है ।

2. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, 1900 का सं. 3 का संशोधन- मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, 1900(1900 का सं. 3) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को उस रीति में संशोधित किया जाय जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है ।

3. नवीन भाग 6-क का स्थापन- मूल अधिनियम के भाग 6-क के स्थान पर निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाय, अर्थात्-

भाग 6-क
'बन्दियों को छुट्टी और आपात छुट्टी'

धारा 31-क. बन्दियों को छुट्टी की मंजूरी - (1) राज्य सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करे, किसी ऐसे बन्दी को, जिसे कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, एक वर्ष में [1]{बयालीस} दिन से अनधिक कालावधि की छुट्टी, जिसमें वह समय सम्मिलित नहीं होगा जो कारागार के प्रस्थान के ठीक पश्चात् उसके अभ्यागम के प्रथम स्थान तक की और अभ्यागम के अन्तिम स्थान से कारागार तक वापसी की यात्राओं के लिए अपेक्षित हो इस भाग के उपबन्धों के और ऐसी शर्तो के जैसी की विहित की जाय, अधीन मंजूर कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे बन्दी को लागू नहीं होंगे जिसे कारागार अधिनियम, 1894(1894 का सं. 9) के अधीन बनाए गए नियमों के, जो तत्समय प्रवृत्त हों, प्रयोजन के लिए अभ्यासिक अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जिसे पूर्व में तीन से अधिक बार सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो ।

(3) किसी बन्दी को किसी वर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन छुट्टी-

(i) [2]{तीन} से अधिक अवसरों के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी;

1. बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012(2012 का 22) द्वारा (दिनांक 2-5-2012 से) शब्द इक्कीस के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम, 2012(2012 का 22) द्वारा (दिनांक 2-5-2012 से)

शब्द "दो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) [1]{चौदह} दिन से कम की कालावधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(iii) तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस वर्ष के दौरान ली गई अंतिम छुट्टी की समाप्ति तथा आवेदित छुट्टी के प्रारम्भ होने के बीच तीन मास की कालावधि व्यपगत न हो गई हो ।

(4) किसी बन्दी को उपधारा (1) के अधीन छुट्टी-

(क) तब तक मंजूर नहीं की जायेगी जब तक कि वह छुट्टी मंजूर किए जाने के समय, अपने दण्डादेश, जिसके अन्तर्गत परिहार भी है, का आधा भाग या अपने दण्डादेश, जिसके अन्तर्गत परिहार भी सम्मिलित है कम से कम दो वर्ष की कालावधि, इनमें से जो भी कम हो न काट चुका हो;

(ख) उस दशा में मंजूर नहीं की जावेगी जबकि आवेदित छुट्टी के प्रारम्भ होने की तारीख के पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान उसे कारागार अधिनियम, 1894(1894 का सं. 9) की धारा 46 के अधीन किसी कारागार अपराध के लिए दण्डित किया गया हो ।

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी बन्दी की छुट्टी की कालावधि की गणना उसके दण्डादेश की कुल कालावधि के लेखे की जाएगी ।

(6) किसी बन्दी को उपधारा (1) के अधीन छुट्टी को मंजूरी का निदेश देने वाला प्राधिकारी उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित, बन्धपत्र लिखें ।

(7) यदि कोई बन्दी, जिसे उपधारा (1) के अधीन छुट्टी मंजूर की गई है, उस शर्तो में से, जो उक्त उपधारा के अधीन या उसके द्वारा लिखे गये बन्धपत्र में उस पर अधिरोपित की गई है, किसी शर्त को पूरा करने में करता है तो बन्धपत्र समपहृत घोषित किया जायेगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति, उससे आबद्ध हो, उसकी शास्ति का दायी होगा ।

(8) यदि किसी बन्दी ने छुट्टी की शर्तो या बन्धपत्र शर्तो का अतिक्रमण किया तो वह अपने दण्डादेश की शेष कालावधि के दौरान, उपधारा (1) के अधीन छुट्टी के लिए हकदार नहीं होगा ।

नोट - मध्यप्रदेश शासन ने बन्दी अधिनियम, 1900 को उसके लागू होने के संबंध में संशोधित करने हंतु एक संशोधित अधिनियम जो कि (मध्य प्रदेश संशोधन) बन्दी अधिनियम 1985 के नाम से लागू किया गया है और जिसे बन्दी अधिनियम, 1900 के भाग 6 के उपरान्त भाग 6-क के रूप में स्थापित किया गया है यह अधिनियम राज्य सरकार को बन्दियों को अल्प समय के लिए छुट्टी (पैरोल) पर मुक्त करने के अधिकार प्रदान करता हे धारा 31-क के अनुसार किसी भी बन्दीं को एक वर्ष में दो बार अधिकतम छुट्टी (पैरोल) मिल सकेगी । किसी भी बन्दी को छुट्टी की पात्रता तभी होगी जबकि उसने अपनी सजा का ½ भाग या कम से कम 2 वर्ष की सजा माफी सहित भुगत ली हो लेकिनयदि ½ भाग 2 वर्ष से कम है तो उतनी सजा भुगतने के पश्चात् बन्दी छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत करने के लिये पात्र होगा । उक्त धारा बन्दी की छुट्टभ् की पात्रता के संबंध में यह भी शर्त लगाती है कि वह आपेदन प्रसतुत करने की तिथि के 12 माह पूर्व तक जेल कानून के तहत दण्डित नही किया गया हो । जेल कानून से आशय कारागार अधिनियम 1894 से है और अपराध से आशय धारा 46 में प्रस्तावित दण्ड से है ।

जब भी किसी बन्दी को उक्त धारा के तहत छुट्टी मन्जूर की जावेगी तब ऐसी 2 छुट्टीयों में कम में

कम से कम तीन माह का अन्तर रखा जायेगा और ऐसी कोई भी छुट्टी कम से कम 10 दिवस की अवधि से अधिक होगी लेकिन दोनों छुट्टीयों की सम्पूर्ण अवधि 21 दिन से अधिक नहीं होगी । इस प्रकार यदि कोई बन्दी एक अवसरपर 15 दिन की छुट्टी चाहता है तो दूसरे अवसर पर वह मात्र 6 दिवस की छुट्टी का ही हकदार होगा । यह धारा ऐसा कोई बन्धन नहीं करती हे कि छुट्टी की अवधि यदि बन्दी केवल एक छुट्टी लेता है तो अधिकतमअवधि 21 दिन होगी या कम लेकिन धारा 31-क (1) का आशय यही है कि बन्दी एक वर्ष में अधिकतम 21 दिन की छुट्टी ले सकताहैचाहे वह एक अवसर पर प्राप्त करें या दो अवसरों पर ।

---

1. बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012(2012 का 22) द्वारा (दिनांक 2-5-2012 से) शब्द "दस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

धारा 3 ख. आपात के आधार पर बंदियों को छुट्टी मंजूर करने की शक्ति- (1) 31- क में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी. जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करे, किसी ऐसे बन्दी को, जो धारा 31 क के अधीन छुट्टी की मंजूरी के लिये हकदार है पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि की आपात छुट्टी, जिसमें वह समय सम्मिलित नहीं होगा जो कारागार से प्रस्थान के ठीक पश्चात उसके अभ्यागम के प्रथम स्थान तक की और उसके अभ्यागम के अन्तिम स्थान से कारागार तक वापसी की यात्रा के लिये अपेक्षित हो, ऐसी शर्तो के अधीन मंजूर कर सकेगा जो विहित की जायं, और वह छुट्टी को किसी भी समय रह कर सकेगा ।

(2) किसी बन्दी को उपधारा (1) के अधीन आपात छुट्टी, उसकी पत्नी या उसके पति, पुत्र, पुत्री, पिता माता, भाई, बहन पितामह या मातामह अथवा पितामही और मातामही की मृत्यु हो जाने की दशा में या उसके स्वयं का या उसके पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन का विवाह होने की दशा में मंजूर की जा सकेगी ।

(3) किसी बंदी को उपधारा (1) के अधीन आपात छुट्टी मंजूरी का निदेश देने वाला प्राधिकारी उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के सम्यक् अनुपालन के लिए, प्रतिभुओं सहित या रहित, बन्धपत्र लिखे,

(4) यदि कोई बंदी जिसे उपधारा (1) के अधीन आपात छुट्टी मंजूर की गई है, उन शर्तो में से, जो उक्त उपधारा के अधीन या उसके द्वारा लिखे गये बंधपत्र में उस पर अधिरोपित की गई है, किसी शर्त को पूरा करने में चूक करता है तो बन्धपत्र समपहृत घोषित किया जायेगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो उससे आबद्ध हो, उसकी शास्ति का दायीं होगा ।

(5) किसी भी बंदी का उपधारा (1) के अधीन आपात छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी यदि आवेदित छुट्टी के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान, उसे कारागार अधिनियम, 1894(1894 का सं. 9) की धारा 46 के अधीन किसी कारागार अपराध के लिये दण्डित किया गया हो |

(6) उपधारा (1) के अधीन छुट्टी का प्राधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता ।

(7) उपधारा (1) के अधीन छुट्टी की कालावधि की गणना उसके दण्डादेश की कुल कालावधि के लेखे नहीं की जायेगी ।

नोट - धारा 31-ख की मंशा बंदी की पारिवारिक आपात स्थिति के आधार पर छुट्टी मंजूर करने की शक्ति शासन को प्रदान करने की है इस प्रकार यह धारा आपात छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को आपात स्थिति में छुट्टी मंजूर करने के असीमित अधिकार प्रदान कर देती हे क्योंकि जिन शर्तो का होना बंदी की पात्रता के लिये धारा 31-क में आवश्यक समझा गया है यह धारा उन शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं करती है इस बात को इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि यह धारा सामान्य छुट्टी की धारा से स्वयं को अलग रखती है, लेकिन साथ ही इस धारा में यह शर्त भी जोडी गई है आपात छुट्टभ के जिये ऐसा बंदी ही हकदार होगा जो धारा 31 के अधीन छुट्टी की मंजूरी के लिये पात्रता रखता हेइस प्रकार इस धारा के लिये भी यह जरूरी हो जाता है कि बन्दी अपनी सजा का ½ भाग या कम से कम 2 वर्ष की सजा माफी सहित भुगत चुका हो । यह धारा भी पात्रता के संबंध में यह शर्त लगाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने कह तिथि के 12 माह पूर्व तक बंदी द्वारा कारागार अधिनियम 1894 की धारा 46 के अधीन कोई अपराध नहीं किया हो । जब भी किसी बंदी को आपात छुट्टी मंजूर करने की स्थिति उत्पन्न होती है तब मंजूर करने वाले प्राधिकारी का यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह यह देखे कि बंदी ने अपनेजिन रिश्तेदार के या रिश्तेदार के विाह अथवा मृत्यु हेतु आपात छुट्टी चाही है वह रिश्तेदार उसके सगे रिश्तेदारकी श्रेणी में होने चाहिये यहां यह देखा जाना अति आवश्यक हो जाता है कि स्वयं की पुत्री और भाई की पुत्री अथवा सगी बहन तथा चाचा की लडकी के मध्य एक महत्वपूर्ण अन्तर होता है और कोई भी बंदी भाई की पुत्री को अपनी लडकीकहकर अथ्वा चाचा की लडकीको अपनी बहन कहकर उसके विवाह के अवसर पर छुट्टी का हकदार नहीं होगा । इस धारा में केवल दो अवसरों पर छुट्टी के लिए आवेदन किया जा सकता है ।

प्रथम - बंदी की छुट्टी उसकी स्वयं की पत्नी अथवा उसके पति, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहन पिता के पिता या पिता की माता की मृत्यु हो जसने की दशा में

द्वितीय - बंदी की छुट्टी उसके स्वंय के या उसके पुत्र, पुत्री, भाई या बहन क विवाह की दशा में,

परन्तु कोई भी बंदी इस धारा के अन्तर्गत इस छुट्टी के लिये अधिकार पूर्वक दावानहीं कर सकता और न ही इस छुट्टी के किसी आदेश के विरूद्ध कोई याचिका प्रस्तुत कर सकता है सामान्य छुट्टी एवं आपात छुट्टी के बीच कितने मास का अंतराल होना चाहिये तथा एक वर्ष में कुल कितनी आपाज छुट्टी बंदी को प्राप्त हो सकेगी इस प्रश्न के उत्तर में यह समझना अति आवश्यक है कि आपात छुट्टी उपरोक्ता दोनो अवसरों में से किसी के भी होने पर मंजूरकी जाना चाहिए और इसके लिए तीन माह के अन्तराल की आवश्यकता नहीं रह जाती है यदि तीन माह के बीच किसी बंदी के परिवार में एक से अधिक विवाह हो तो उसे उन सभी विवाहों में यदि वह उसके पुत्र-पुत्री, भाई या बहन के होता यह सभी के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने का हकदार होगा । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आपात कभी भी उपस्थित हो सकता है इसलिए विधान निर्माताओं ने इस धारा में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है जैसी के धारा 31-क के उपनियम 3 में लगाई गई है । इस धारा में केवल यह शर्त आवश्यक है कि किसी भी बंदी को 15 दिन से अधिक की आपात छुट्टी नहीं दी जायेगी ।

धारा 3 ग. छुट्टी की कालावधि के पश्चात् बन्दी का प्रस्तुत होना- (1) उस कालावधि का जिसके लिए किसी बन्दी को धारा 31- क की उपधारा 1 के अधीन छुट्टी पर या धारा 31- ख की उपधारा (1) के अधीन आपात छुट्टी पर छोड़ा गया था, अवसान हो जाने पर, वह बंदी अपने को उस कारागार के भारसाधक

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जहां से उसे छोड़ा गया था ।

(2) यदि कोई बन्दी उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अपने को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और अपने दण्डादेश के अनवसित भाग की सजा भुगतने के लिये प्रतिप्रेषित किया जायेगा ।

धारा 31- घ. शास्ति- कोई बंदी, जो धारा 31 ग की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अपने को प्रस्तुत नहीं करेगा, वह दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 31 -ड. नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतयां और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:-

(क) बंदियों को छुट्टी या आपात छुट्टी की मंजूरी के लिये कार्यवाहियों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) बंदियों की धारा 31- क की उपधारा (1) के अधीन छुट्टी या धारा 31- ख की उपधारा (1) के अधीन आपात छुट्टी की मंजूरी के लिये शर्ते जिसके अन्तर्गत ऐसी छुट्टी की कालावधि के दौरान पर्यवेक्षण के लिये शर्ते भी आती है;

(ग) छुट्टी की कालावधि के दौरान बंदियों के लिये यात्रा भत्ते;

(घ) छुट्टी की कालावधि के दौरान बंदियों के आने-जाने पर निर्बन्धन; और

(ड) छुट्टी की शर्तो का अतिक्रमण किया जाने की दशा में छुट्टी और आपात छुट्टी का रह किया जाना या बंधपत्र का समपहरण ।

भाग 7
निर्वासन के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति

धारा 32. निर्वासन के दण्डादेश के अधीन व्यक्तियों को निरूद्ध रखने के स्थानों का नियत किया जाना और उन्हें वहां भेजा जाना- (1) राज्य सरकार राज्य के भीतर ऐसे स्थान नियत कर सकेगी जहां निर्वासन के लिए दण्डादिष्ट व्यक्तियों को भेजा जाएगा; और राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उन व्यक्तियों को इस प्रकार नियत स्थानों को भेजने का आदेश या उस दशा के सिवाय देगा जब निर्वासन का दण्डादेश किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया हो जो किसी अन्य अपराध के लिए उसके पहले से पारित किसी दण्डादेश के अधीन निर्वासन पहले से ही भुगत रहा हो ।

(2) ऐसी किसी दशा में, जिसमें राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन राज्य के भीतर स्थान नियत करने और निर्वासन के लिए दण्डादिष्ट व्यक्तियों को हटा कर वहाँ भेजने का आदेश देने के लिए सक्षम है, राज्य सरकार किसी अन्य राज्य की राज्य सरकार के साथ करार के उस राज्य में ऐसे स्थान नियत कर

सकेगी, और वैसे ही करार द्वारा उन व्यक्तियों को वहां हटाने के आदेश दे सकेगी या आदेश देने के लिए किसी अधिकारी को सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर सकेगी ।

भाग 8
बंदियों का उन्मोचन

धारा 33. ऐसे बन्दी का, जिसे क्षमा करने की सिफारिश की गई है. उच्च न्यायालय के आदेश से मुचलके पर छोड़ा जाना- कोई उच्च न्यायालय किसी ऐसी दशा में, जिसमें किसी बन्दी को मुक्त, क्षमा करने की सिफारिश सरकार से की है, उसे उसके ही मुचलके पर छोड़ देने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

भाग 9
बंदियों की हाजिरी की अपेक्षा करने और उनका साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित उपबंध

धारा 34 .-52 बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955(1955 का अधिनियम सं. 32) की धारा 10 द्वारा निरसित ।

धारा 53. निरसन रिपीलिंग एण्ड अमेंडिग ऐक्ट, 1914(1914 का अधिनियम सं. 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

प्रथम अनुसूची

बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 32) द्वारा निरसित ।

द्वितीय अनुसूची

बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 32) द्वारा निरसित ।

तृतीय अनुसूची

रिपीलिंग एण्ड अमेडिंग एक्ट, 1914 (1914 का अधिनियम सं. 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।